केवल कार्यालय उपयोगार्थ

भारत की जनगणना-2001

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता-
भारत में बड़े आकार के गांवों का अध्ययन

अनुदेश पुस्तिका

सामाजिक अध्ययन प्रभाग
भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय
नई दिल्ली

प्रस्तावना

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता - भारत में बड़े आकार के गांवों का अध्ययन

भारत गांवों में बसता है। अपना भाग्य विधाता होने के बावजूद स्वतंत्रता प्राप्ति के पचास वर्षों बाद भी जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग आज भी जीवन की महत्वपूर्ण सुविधाओं से वंचित है । यह स्थिति ग्रामीण क्षेत्रों में और भी दयनीय है जहां 74% भारतीय निवास करते हैं । आज भी बहुत से क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, आर्थिक तथा मनोरंजन जैसी सुविधाओं में क्षेत्रीय विषमताएं देखी जा सकती हैं अथवा क्या वास्तव में ऐसा है ?

बड़े आकार के गांवों में जीवन स्तर के मूल्यांकन हेतु इस अध्ययन का उद्देश्य ऐसी आधारभूत सुविधाओं से संबंधित जानकारियाँ एकत्रित करना है, जो भौतिकवादी दृष्टि से एक अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक हैं । इसके अन्तर्गत स्कूल से लेकर ब्यूटी पार्लर तक, साईबर कैफे से लेकर छोटे खेल के मैदानों तक की ऐसी समस्त आधारभूत सुविधाएं सम्मिलित की गई हैं जो गांवों में अच्छे जीवन स्तर के लिए आवश्यक है ।

इस अध्ययन, जिसके बार-बार किए जाने की सम्भावना है, के लिए कम से कम 5000 की जनसंख्या वाले गांवों को चुना गया है । ये बड़े आकार के गांव जिनमें कदाचित नगरीय क्षेत्रों में परिवर्तित होने की क्षमता है, बदलाव की अवस्था को दर्शाते हैं । नगरों तथा कस्बों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाएं इन बड़े आकार के गांवों में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि इन क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार आये और जिससे, अप्रत्यक्ष तौर पर नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या की दौड़ रूक सके । इस प्रकार भारत का वास्तविक रूप सुरक्षित रह सकेगा ।

जनगणना संगठन द्वारा पूर्व में गांव की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति के बारे में किए गए अध्ययनों के विपरीत वर्तमान अध्ययन सांख्यिकीय प्रकार का है जिसमें बड़े आकार के गांवों में उपलब्ध आधारभूत विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से संबंधित जानकारियां एकत्र की जायेगी । इस अध्ययन का उद्देश्य इन गांवों में विद्यमान जीवन स्तर के पैटर्न के लिए जिम्मेदार कारणों का पता लगाना अथवा मूल्यांकन करना अथवा विभिन्न जातीय समूहों के बीच परस्पर सम्बन्धों का अध्ययन करना नहीं है । इसका उद्देश्य किसी भी सामाजिक अथवा मानव विज्ञान अन्वेषण का 'क्यों' और 'कैसे' नहीं है । अत: यह अध्ययन सीमित, समयाबद्ध, एकात्मक प्रकार का है ।

जनगणना 2001 के अनुसार भारत में 5000 से अधिक जनसंख्या वाले लगभग 18633 गांव हैं । इसके अंतर्गत, सामान्यत: पहाड़ी क्षेत्रों तथा देश के उत्तरी-पूर्वी क्षेत्र या छोटे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के ऐसे 896 गांव, जिनकी जनसंख्या 2000 से अधिक है, को सम्मिलित नहीं किया गया है । इस प्रकार इस अध्ययन के माध्यम से इन 19,529 गांवों में उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के मूल्यांकन से इन गांवों को समझने का मार्ग प्रशस्त होगा ।

यह अध्ययन त्वरित मैदानी सर्वेक्षण के द्वारा निर्धारित अनुसूचियों के माध्यम से प्रत्येक गांव की जानकारी एकत्र करेगा । सही-सही जानकारी प्राप्त करने के लिए विभिन्न स्थानीय विभागों, स्कूलों, कालेजों तथा मार्किट केन्द्रों पर जाना आवश्यक है । उपलब्ध अल्पावधि में सटीक जानकारी एकत्रित करने सम्बन्धी संकल्पनाओं और पद्धति को अनुसंधान अन्वेषक द्वारा प्रवीणता से समझने पर ही इस अध्ययन की सफलता निर्भर है ।

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता
भारत में बड़े आकार के गांवों का अध्ययन

(प्रश्नावली को भरने के लिए दिशा निर्देश)

सभी प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी में लिखें । आवश्यकतानुसार कोड संख्या को दर्शाया जाये ।

यदि प्रश्न उपभागों में है और जहां उत्तर को विभिन्न विकल्पों के आधार पर कोड दिये जाने हैं तो वहां पर उपयुक्त कोड को सर्किल करें ।

किसी गांव में विशिष्ट सुविधा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उस नजदीकी स्थान की दूरी का श्रेणी कोड अंकित करें जहां पर वह सुविधा उपलब्ध है (जैसे एक कि0मी0 के अन्दर-1; एक कि0मी0 से तीन कि0मी0 तक-2; तीन कि0मी0 से अधिक व पांच कि0मी0 तक-3; पांच कि0मी0 से अधिक-4; दूरी ज्ञात नहीं-5) । गांव से दूरी का तात्पर्य गांव की अनुमान के आधार पर औसत दूरी है ।

मद	प्रश्न संख्या	अनुदेश/स्पष्टीकरण
भाग-ए		
पहचान विवरण	ए-1 से ए-5	गांव का नाम, इसकी स्थायी लोकेशन कोड संख्या, उप जिले का नाम तथा उसकी कोड संख्या अर्थात् तहसील/तालुक/मंडल/पुलिस स्टेशन का नाम जैसा कि राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में लागू होता है, भारत की जनगणना 2001 के सम्बन्ध में जनगणना कार्य निदेशालय द्वारा तैयार अंतिम सूची के अनुसार जिले का नाम एवं कोड संख्या और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम और कोड संख्या दर्ज करें ।
भाग-बी		
लोकेशन	बी-1.1 से बी-1.3	इसका तात्पर्य प्रशासनिक मुख्यालय, सांविधिक नगर से गांव की दूरी से है । मद संख्या बी-1.1 से बी-1.3 में सी.डी. ब्लाक, उप जिला तथा जिला मुख्यालय का नाम तथा गांव से नजदीकी रास्ते से कि0मी0 में दूरी दर्ज करें ।
राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग	बी-1.4.1	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र की सीमा में पड़ने वाले नजदीकी राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग का नाम व गांव से राजमार्ग की दूरी किलोमीटर में दर्ज करें ।
	बी-1.4.2	प्रश्न बी 1.4.2 केवल उसी स्थिति में लागू होगा जबकि नजदीकी राजमार्ग राज्य/संघ राज्यक्षेत्र में नहीं हो । प्रश्न संख्या बी-1.4.2 में राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर नजदीकी राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग का नाम तथा उसकी दूरी कि.मी. में दर्ज करें । यदि राजमार्ग गांव से होकर गुजरता है तो दूरी "0" दर्ज की जाएगी ।
बारहमासी सड़क	बी-1.5.1	बारहमासी सड़क का तात्पर्य ऐसे रास्तों से है जिनका उपयोग गर्मी, बरसात या सर्दी अर्थात् वर्ष भर किया जाता है । बारहमासी सड़क पक्की सड़क तथा कच्ची सड़क

		दोनों हो सकती है । लेकिन इसके लिए उनपर नियमित रूप से बसों का चलना आवश्यक है । पक्की सड़क के अन्तर्गत तारकोल की सड़क, कंक्रीट की सड़क, रोड़ी की सड़क तथा पक्की सड़क शामिल है । कच्ची सड़क का आशय ऊबड़-खाबड़ कच्ची सड़क से है । यदि सड़क गांव से होकर गुजरती है तो गांव से सड़क की दूरी "0" दर्ज होगी ।
	बी-1.5.2	यदि सबसे नजदीक बारहमासी सड़क राज्य के अन्दर नहीं है तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर की सबसे नज़दीकी बारहमासी सड़क का नाम दर्ज करें । यह प्रश्न उसी स्थिति में लागू होगा जबकि प्रश्न बी-1.5.1 "लागू नहीं" है ।
सांविधिक नगर	बी-1.6.1	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के अन्दर स्थित सबसे नजदीकी सांविधिक नगर का नाम तथा गांव से उसकी दूरी कि0मी0 में दर्ज करें ।
	बी-1.6.2	यदि गांव से सबसे नजदीकी सांविधिक नगर राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से बाहर है तो राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर स्थित सबसे नज़दीकी सांविधिक नगर का नाम तथा उसकी गांव से दूरी कि0मी0 में दर्ज करें ।
भाग-सी संक्षिप्त इतिहास तथा नज़री नक्शा		गांव अथवा तहसील मुख्यालय स्तर पर राजस्व अधिकारियों से सम्पर्क कर गांव से सम्बन्धित इतिहास का लिखित अभिलेख प्राप्त करें । गांव की ऐतिहासिक जानकारी प्राप्त करने के लिए गांव के दो/तीन जानकार व्यक्तियों के साथ चर्चा करना लाभप्रद होगा । जनगणना 2001 के नज़री नक्शे के आधार पर गांव का नजरी नक्शा तैयार करें तथा परिवर्तनों को दर्ज करें । ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक तथा ऐतिहासिक स्थानों को चिन्हित करें जिनको पहले नहीं दर्शाया गया है ।
भाग-डी जनसंख्या संयोजन तथा आवास पद्धति	डी-1.1, डी-1.2 तथा डी-1.3	यह जानकारी जनगणना 2001 पर आधारित होनी चाहिए अथवा चार्ज अधिकारी द्वारा प्रगणक सार तैयार करते समय दी गई जानकारी पर आधारित होनी चाहिए ।
	डी-2	जिम्मेदार स्थानीय व्यक्तियों से गांव में विद्यमान तीन मुख्य जातियों, जनजातियों अथवा समुदायों की जानकारी प्राप्त की जा सकती है तथा संख्या के आधार पर घटते क्रम में परिवारों की संख्या भी दर्ज करें । इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अथवा अन्य समुदाय जैसे ब्राह्मण, राजपूत, ठाकुर, कुर्मी आदि अर्थात् अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य समुदाय भी हो सकते हैं ।

	डी-3	यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक गांव में एक से अधिक हेमलेट हों । यदि किसी गांव विशेष में दो या उससे अधिक हेमलेट हैं तो प्रत्येक के सम्बन्ध में अलग-अलग जानकारी दर्ज की जानी है । मुख्य हेमलेट से संबंधित जानकारी हेमलेट-I में दर्ज की जानी चाहिए । परिवार तथा जनसंख्या की जानकारी के लिए जनगणना 2001 के प्रगणक ब्लाक स्तर के आंकड़ें देखे जा सकते है । अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति से संबंधित जानकारी सुविधानुसार परिवार अनुसूचियों अथवा स्थानीय जाँच के आधार पर प्राप्त की जा सकती है । यदि हेमलेट में 60% से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है तो अनुसूचित जाति के लिए 1 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 2 को चिन्हित करें। राज्य/संघ राज्यक्षेत्र से संबंधित सूची सुलभ संदर्भ के लिए संलग्न है ।
	डी-4	इस प्रश्न के द्वारा यह सुनिश्चित करना है कि क्या गांव में ग्राम पंचायत द्वारा मकानों को नम्बर दिए गए हैं । यदि मकान नम्बर विद्यमान हैं तो कोड "1" को अन्यथा कोड "2" को चिन्हित करें ।
	डी-5	इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या ग्राम में गलियों के नाम हैं ! यदि गांव में गलियों को नाम दिए गए हैं तो कोड "1" चिन्हित करें तथा प्रश्न डी-5.1 से डी-5.5 के सामने 5 मुख्य गलियों के नाम भी लिखें अन्यथा कोड "2" चिन्हित करें ।
	डी-6	इस प्रश्न से संबंधित जानकारी गांव के जिम्मेदार व्यक्तियों या प्रधान से प्राप्त करें तथा वास्तविक निरीक्षण से उत्तर की पुष्टि करें ।
भाग-ई हेमलेट/आबादी में उपलब्ध सुविधाएँ		किसी भी 300 से कम व्यक्तियों वाले हेमलेट/आबादी के बारे में अलग से जानकारी न दें ।
सार्वजनिक पेयजल सुविधा	ई-1.1.1 से ई-1.1.10	इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी प्राप्त करनी है कि क्या लोगों को बिना किसी प्रतिबन्ध के सार्वजनिक रूप में पेयजल उपलब्ध है । यदि पेयजल किसी व्यक्तिगत स्रोत से उपलब्ध है तो भी यह जानकारी एकत्र की जाए । यदि हेमलेट/आबादी में एक से अधिक स्रोतों से पेयजल उपलब्ध है, तो प्रत्येक हेमलेट के लिए अलग-अलग उपयुक्त खाने में कोड दिये जाएं ।
विद्युत आपूर्ति		यदि हेमलेट/आबादी में वास्तव में विद्युत उपलब्ध है, चाहे इसका उपयोग किसी भी रूप में हो रहा है, तो हेमलेट/आबादी में विद्युत आपूर्ति की सुविधा मानी जानी चाहिए ।

घरेलू विद्युत आपूर्ति	ई-2.1.1 से ई-2.1.10	यदि हेमलेट/आबादी में घरेलू उपयोगों के लिये विद्युत उपलब्ध है तथा वहाँ के निवासी उसका उपयोग घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कर रहे हैं तो यह माना जायेगा कि वहाँ पर घरेलू उपयोग के लिये विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है । यदि विद्युत प्राधिकरण अनुरोध पर परिवारों को विद्युत आपूर्ति नहीं कर रहा है तथा वहाँ के लोग चोरी करके अथवा किसी अन्य गैर कानूनी तरीके से अथवा कृषि अथवा औद्योगिक उद्देश्यों के लिए की जा रही विद्युत आपूर्ति के दुरुपयोग से विद्युत का उपयोग कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इसे घरेलू उपयोग के लिए विद्युत की आपूर्ति नहीं माना जायेगा । यदि किसी हेमलेट/आबादी विशेष में अस्थायी रूप से तकनीकी खराबी के कारण या ट्रांसमीटर की खराबी या उपकरण की चोरी के कारण विद्युत नहीं है तो ऐसी स्थिति में विद्युत की आपूर्ति मानी जायेगी । नये घरेलू कनेक्शनों पर अस्थायी रोक लगने पर भी विद्युत आपूर्ति की उपलब्धता मानी जायेगी । उपयुक्त कोडों का उपयोग कर प्रत्येक हेमलेट/आबादी के लिए अलग-अलग उत्तर दर्ज किया जाये ।
प्राथमिक विद्यालय	ई-3.1.1 से ई-3.1.10	इस प्रश्न के द्वारा पता लगाना है कि क्या प्रत्येक आबादी में प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध है । कक्षा पहली से पाँचवी तक की शिक्षा देने वाले विद्यालयों को प्राथमिक विद्यालय वर्गीकृत किया गया है । प्राथमिक विद्यालय में नर्सरी स्कूल, किन्डरगार्टन स्कूल, प्री-प्राईमरी स्कूल तथा जूनियर-बेसिक स्कूल को भी सम्मिलित किया गया है । प्रत्येक हेमलेट/आबादी में उपलब्ध प्राथमिक विद्यालय की संख्या को उपयुक्त खाने में दर्ज किया जाना है । इसके अतिरिक्त कोड का प्रयोग कर इसकी सरकारी, गैर-सरकारी अथवा दोनों की स्थिति भी दर्शाये ।
पहुँच मार्ग	ई-4.1.1 से ई-4.1.10	जानकारी प्राप्त करें कि क्या हेमलेट/आबादी किसी पहुँच मार्ग द्वारा गांव से जुड़ा है, यदि पहुंच मार्ग है तो पहुँच मार्ग का प्रकार सुनिश्चत करें । प्रत्येक हेमलेट/आबादी की जानकारी उपयुक्त खाने में कोड प्रयुक्त करके दर्ज कर दी जाये ।
भाग-एफ		**पूरे गांव को उपलब्ध सुविधाएं (हेमलेट सहित)**
पेयजल	एफ-1.1 से एफ-1.2	प्रश्न संख्या एफ-1.1 के द्वारा गांव वालों को गांव के भीतर पेयजल के स्रोत की उपलब्धता के बारे में जानकारी हासिल करना है । यदि पेयजल की सुविधा गांव से 500 मी0 की दूरी के अंदर हो तो पेयजल की उपलब्धता मानी जाये । इसके अतिरिक्त स्थानीय पूछताछ द्वारा उन परिवारों की संख्या भी सुनिश्चित करें जिनको पानी की सुविधा उपलब्ध है और उन्हें वर्गीकृत करें । यदि 60% से अधिक परिवार सार्वजनिक पेयजल के स्रोत का उपयोग करते हैं तो यह

माना जायेगा कि अधिकांश परिवारों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध है । ऐसे मामले में कोड "1" को चिन्हित करें । यदि कुछ गांवों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध है तो कोड "2" को चिन्हित करें और यदि गांव में सार्वजनिक पेयजल स्रोत की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो कोड "3" चिन्हित करें ।

इस प्रश्न के माध्यम से यह जानकारी हासिल करनी है कि क्या गांव में कोई उन्नत पेयजल का स्रोत सामुदायिक तौर पर उपलब्ध है । यदि, अधिकांश परिवारों में पानी की आपूर्ति नल अथवा सामुदायिक कुओं अथवा हैण्डपम्पों से की जाती है तो यह माना जाना चाहिये कि ग्राम में पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध है ।

नल का पानी :- यह पेयजल का एक ऐसा स्रोत है जिसके अन्तर्गत सरकार या स्थानीय निकाय या विकास प्राधिकरणों या आवास इस्टेट या ऐसी ही अन्य ऐजेंसियों द्वारा पाईपों के माध्यम से पेयजल की आपूर्ति की जाती है । नल द्वारा प्रदाय किया गया पीने का पानी आवश्यक रूप से उपचारित होता है । यहाँ यह उल्लेखनीय है कि मकान मालिक द्वारा अनरक्षित कुओं, टैंक या तालाबों तथा झरनों से पानी उठाकर पाईपों के माध्यम से बाँटा गया पानी नल के पानी की श्रेणी में नहीं आता है ।

हैन्ड पम्प :- हैन्ड पम्प जमीन की कई सतहों को खोदकर बनाया गया एक बोरवेल है । यह मानव चलित जमीन से पानी निकालने की एक मैकेनिकल मशीन है ।

ट्यूब वेल :- ट्यूब वेल एक लम्बा पाईप अथवा ट्यूब है जिसको बोर द्वारा जमीन में गहराई तक पहुंचाया जाता है । इसमें जमीन की कई सतहें खोदकर पानी निकाला जाता है । ट्यूब वेलों की गहराई स्थान-स्थान पर अलग-अलग 20 से 50 मीटर तक हो सकती है । सामान्य तौर पर बिजली के पम्प द्वारा ट्यूब वेल के माध्यम से जमीन से पानी निकाला जाता है ।

एफ-1.3 प्रश्न के उत्तर में सामुदायिक रूप से तथा निजी तौर पर मुख्य रूप से प्रयोग किये जा रहे पेयजल के दो स्रोतों को उपयुक्त कोड का प्रयोग करके दर्शाये ।

एफ-1.4 कुछ गांवों में घरों में पेयजल का वितरण किया जाता है । यदि पेयजल का वितरण नल के माध्यम से किया जाता है तो कोड "1" अन्यथा कोड "2" अंकित करें।

एफ-1.5 सामान्य तौर पर नल द्वारा वितरित किया जाने वाला पेयजल जनता में वितरण के पूर्व रसायनिक या किसी अन्य विधि से शोधित किया जाता है । कभी-कभी ऐसे कुंओं को आवधिक रूप से स्थानीय निकायों द्वारा साफ किया जाता

है जिनसे नल द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जाती हों लेकिन यह सभी मामलों में सही नहीं है । अत: गांव में आपूर्ति किये जाने वाले पेयजल के बारे में स्थानीय अधिकारियों से वास्तविक जानकारी हासिल कर वस्तुस्थिति दर्ज करें ।

एफ-1.6 यदि गांव में नियमित रूप से पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है, तो यह समझा जायेगा कि वहाँ पर पानी की किल्लत है । ग्रामीणों के समूह के साथ चर्चा कर पता लगायें कि क्या गत कलेन्डर वर्ष में गांव में कभी पेयजल की समस्या हुई थी ।

एफ-1.7 यदि पेयजल की आपूर्ति के लिये गांववालें मासिक तौर पर कुछ भुगतान करते हैं तो उसे दर्ज करें । भुगतान की जाने वाली राशि का उल्लेख न किया जाये ।

शैक्षणिक सुविधा एफ-2 इस श्रेणी में समस्त प्राथमिक अथवा अनौपचारिक शिक्षा की जानकारी सम्मिलित की जायेगी चाहे वह डिग्री, डिप्लोमा संस्थानों द्वारा प्रमाणित या संचालित कोई अन्य कोर्स हो । इसके अंतर्गत गांव में चल रहे समस्त प्रकार के शैक्षणिक संस्थान चाहे वे किसी भी स्तर या माध्यम के हों सम्मिलित किये जायेंगे । इसमें सरकार द्वारा, स्थानीय निकाय द्वारा सहायता प्राप्त तथा निजी तौर पर चलाये जा रहे गैर-सहायता प्राप्त सभी संस्थानों का उल्लेख किया जायेगा । निजी तौर पर चलाये जा रहे ऐसे प्रायवेट स्कूल जिनको शासन द्वारा सहायता दी जा रही है को कॉलम संख्या 3 में सरकार द्वारा मद में सम्मिलित किया जायेगा । स्कूलों के मामले में यह देखा गया है कि प्राइमरी स्कूलों, मिडिल स्कूलों तथा हाई स्कूलों का स्तर हर प्रान्त में भिन्न-भिन्न है । संलग्न अनुलग्नक-1 में राज्यों के इस स्तर की भिन्नता को परिलक्षित किया गया है । अखिल भारतीय पद्दति के अन्तर्गत कक्षा I से V तक प्राइमरी स्कूल में, कक्षा VI से VIII तक मिडिल स्कूलों में तथा कक्षा IX से X तक हाई स्कूलों में एवं कक्षा XI से XII तक उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में आते हैं । यदि कुछ ऐसे संस्थान हैं जो डिग्री स्तर के साथ विश्वविद्यालय पूर्व शिक्षा भी देते हैं तो ऐसे संस्थानों को डिग्री कालेज तथा पूर्व विश्वविद्यालय कालेज (पी.यू.सी.) दोनों ही श्रेणी में रखा जायेगा जैसे कि वे पृथक-पृथक इकाईयां हों । इसी तरह यदि पूर्व विश्वविद्यालय (जूनियर कॉलेज) जहाँ कक्षा I से XII तक की शिक्षा दी जाती है तो उसको एक पी.यू.सी., एक हाई स्कूल एक मिडिल तथा एक प्राइमरी स्कूल के रूप में रखा जायेगा तथा प्रत्येक इकाई को संबंधित कॉलम में दर्ज किया जायेगा । उसी प्रकार कक्षा I से X तक के स्कूलों को प्राईमरी, मिडिल तथा हाई स्कूल की श्रेणियों में रखा जायेगा । कक्षा I से VIII तक की कक्षाओं वाले स्कूल को एक प्राईमरी तथा एक मिडिल स्कूल में श्रेणीबद्ध किया

		जायेगा । यदि कॉलम 3 से 5 तक के उत्तर में "नहीं" है तो कॉलम 6 भरा जाये । कॉलम 5 के अन्तर्गत सरकारी तथा गैर-सरकारी रूप से केवल लड़कियों के लिये चलाई जाने वाली संस्थाओं की जानकारी दर्ज की जायेगी ।
प्राइमरी स्कूल	एफ-2.1.1	इस प्रश्न का आशय यह जानना है कि प्रत्येक गांव में प्राइमरी स्कूल होना चाहिए । जैसा कि पहले ही स्पष्ट किया गया है कि कक्षा I से ऊपर तथा कक्षा V तक के स्कूलों को प्राईमरी स्कूलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । प्राईमरी स्कूलों में नर्सरी तथा किन्डरगार्टन स्कूल, प्री-प्राइमरी स्कूल तथा जूनियर प्राथमिक स्कूल सम्मिलित है ।
मिडिल स्कूल	एफ-2.1.2	कक्षा VI से ऊपर कक्षा VIII तक के स्कूलों को मिडिल स्कूल के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कक्षा I से कक्षा VIII वाले स्कूलों को दो इकाईयों के रूप में माना जाएगा । एक प्राईमरी स्कूल तथा एक मिडिल स्कूल ।
हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल	एफ2.1.3	कक्षा IX से कक्षा X तक की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को हाई स्कूलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है । कक्षा I से कक्षा X तक की शिक्षा प्रदान करने वाले स्कूलों को तीन अलग-अलग इकाईयों नामत: प्राईमरी स्कूल, मिडिल स्कूल तथा हाई स्कूल में रखा जाना है ।
उच्चतर माध्यमिक/ इंटरमीडिएट/पी0यू0/ जूनियर कॉलेज(पी.यू.सी.)	एफ2.1.4	वे स्कूल तथा कॉलेज जो कक्षा XI से कक्षा XII तथा विश्वविद्यालय पूर्व प्रथम एवं द्वितीय वर्ष की शिक्षा प्रदान करते है इस श्रेणी में आते हैं । कक्षा IX से कक्षा XII तक की शिक्षा देने वाले स्कूलों में कुछ डिग्री कॉलेज भी हैं जो विश्वविद्यालय पूर्व दो वर्ष की शिक्षा प्रदान करते हैं । ऐसे संस्थानों को, पूर्व में भी स्पष्ट किया गया है । इन्हें पृथक-पृथक इकाइयों में बांटा जाना है, जो इस प्रकार हैं : सेकैण्डरी स्कूल तथा सीनियर सेकैण्डरी स्कूल ।
कॉलेज	एफ-2.1.5	इसके अन्तर्गत वे समस्त शैक्षणिक संस्थाएं सम्मिलित हैं जो पी.यू.सी. के बाद की शिक्षा प्रदान करती हैं । इस श्रेणी के अन्तर्गत किसी विषय में डिग्री/डिप्लोमा या विभिन्न विषयों के साथ स्नातकोत्तर स्तर की शिक्षा, कला, विज्ञान या वाणिज्य में अलग-अलग या एक साथ शिक्षा प्रदाय करने वाले कॉलेज आते हैं। इसके अन्तर्गत विधि कॉलेज भी सम्मिलित हैं किन्तु चिकित्सा एवं इंजीनियरिंग कालेज को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है।
मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेज	एफ-2.1.6	इस प्रश्न के अन्तर्गत मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों (सरकारी अथवा गैर-सरकारी) को दर्ज किया जाना है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	एफ-2.1.7	यदि किसी गांव में सरकार या तकनीकी शिक्षा बोर्ड से संबद्ध संस्थानों द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान चलाए जा रहे हैं तो उन्हें इस श्रेणी में रखा जाएगा ।
प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं/ केन्द्र	एफ-2.1.8	इस प्रश्न के अतंर्गत जानकारी केवल तभी दर्ज की जाएगी जब किसी गांव विशेष में प्रौढ़ शिक्षा कक्षाएं नियमित रूप से चलाई जा रही हों ।
टाईपिंग संस्थान	एफ-2.1.9	सरकारी या गैर-सरकारी किसी भी टंकण या आशुलिपि शिक्षण संस्थान संबंधी जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में दर्ज की जायेगी।
व्यावसायिक केन्द्र (ड्राईंग, पेंटिंग आदि)	एफ-2.1.10	इस प्रश्न के उत्तर में सरकार अथवा निजी तौर पर चलाई जाने वाली ड्राईंग अथवा पेंटिंग से संबंधित संस्थानों की जानकारी दर्ज की जायेगी।
कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्र	एफ-2.1.11	एम-एस ऑफिस, प्रोग्रामिंग, वेब-डिजाईनिंग, डी0टी0पी0 आदि जैसे कम्प्यूटर सम्बन्धी प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संस्थानों, चाहे वह सरकार द्वारा चलाए जा रहे हों अथवा निजी व्यक्तियों द्वारा, की जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में दर्ज की जायेगी।
संगीत/नृत्य स्कूल	एफ-2.1.12	सरकार अथवा निजी स्तर पर चलाई जा रही संगीत अथवा नृत्य संबंधी कक्षाओं की जानकारी इस प्रश्न के उत्तर में दर्ज की जायेगी। स्कूल परिसर में स्कूलों द्वारा अन्य गतिविधियों के साथ चलाई जाने वाली कक्षाएं इसके अंतर्गत नहीं आयेगी।
टेलरिंग/एम्ब्राइडरी/ नीडिल वर्क	एफ-2.1.13	सरकारी तथा गैर-सरकारी तौर पर टेलरिंग/एम्ब्राइडरी/ नीडिल वर्क से संबंधित कोर्स की जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत आयेगी।
अंग्रेजी माध्यम के स्कूल	एफ-2.2	अंग्रेजी माध्यम के प्रत्येक प्रकार के स्कूलों की संख्या इस प्रश्न के उत्तर में दर्ज की जायेगी संयुक्त स्कूलों को पैरा एफ.2 में दिये गये सुझाव के अनुसार गिना जाये।
चिकित्सा सुविधा	एफ-3	यदि गांव में एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी तथा होम्योपैथी का कोई अस्पताल अथवा डिसपेंसरी है तो उससे संबंधित जानकारी इस प्रश्न में अलग-अलग दर्ज की जानी है।

चिकित्सा संस्थानों/सुविधाओं की अवधारणाएं

अस्पताल अन्त: रोगियों के उपचार की सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं । कई सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर भी ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं । इसी प्रकार प्रसूति गृह भी अन्त: रोगियों को भर्ती करते हैं किन्तु यहां केवल प्रसूति से सम्बन्धित मामले ही देखे जाते हैं । इसके अतिरिक्त निजी नर्सिंग होम को छोड़कर अन्य सभी

में बाह्य रोगियों के ही उपचार के प्रबंध होते हैं । तथापि स्थानीय बोलचाल में डिस्पेंसरी को भी अस्पताल बोल दिया जाता है तथा निजी चिकित्सक द्वारा चलाए जा रहे क्लिनिक को डिस्पेंसरी बोल दिया जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में निजी नर्सिंग होम को अस्पताल बोल देते हैं । कई बार इससे भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है ।

आयुर्वेद :

आयुर्वेद का अर्थ है "जीवन शास्त्र" । आयुर्वेद का दर्शनशास्त्र पंच महाभूत (पांच तत्व) के सिद्धांत पर आधारित है जिनसे सभी वस्तुएं और जीवित शरीर बने हैं । इन पांच तत्वों का सम्मिश्रण त्रिदोष अर्थात् वत्त, पित्त और कफ के रूप में बताया गया है । ये तीन 'दोष' जीवित प्राणियों के शारीरिक तत्व है । आयुर्वेद निदान पद्धति में आठ चीजों के बारे में पूछा जाता है और उनकी जांच की जाती है जिसमें नबज, मूत्र, मल, जीभ, आंखें, दृश्य/इद्रिय की जांच और परिणाम निकालना शामिल है । इसमें उपचार व्यक्तिगत होता है । आयुर्वेद में प्रतिरोधक और आरोग्यकर, उपचार की दो किस्में दी गई हैं ।

होम्योपैथी :

होम्योपैथी चिकित्सा-शास्त्र की वह पद्धति है जिसमें शक्ति-क्षमता वाली औषधियों जो मानव स्वास्थ्य पर उसी प्रकार के कृत्रिम लक्षण लाने की शक्ति रखने के मामले में प्रायोगिक तौर पर सिद्ध हो चुकी हैं, का इस्तेमाल करके प्राकृतिक रूप से रोग का निदान किया जाता है । होम्योपैथी पांच मूलभूत सिद्धांतों अर्थात् (i) सदृश सिद्धांत (ii) उपचार निदेशन सिद्धांत (iii) एकल उपचार सिद्धांत (iv) औषधि की न्यूनतम मात्रा का सिद्धांत और (v) चिरकालिक रोग सिद्धांत पर आधारित है । होम्योपैथी में चिरकालिक रोगों जैसे : मधुमेह, जोड़ों के दर्द, ब्रोंकाइनल अस्थमा, चमड़ी की एलर्जी और रोग प्रतिरक्षण क्षमता विकार, स्वभाव सम्बन्धी विकार, मानसिक विकार, आदि का प्रभावी उपचार उपलब्ध है ।

यूनानी :

यूनानी चिकित्सा पद्धति स्वास्थ्य सुधार और प्रतिरोधी रोग नियंत्रण पद्धति पर आधारित है । यूनानी चिकित्सा पद्धति में प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली अधिकांशत: जड़ी-बूटियों से बनी औषधियों के उपयोग पर जोर दिया गया है यद्यपि इसमें पशुओं/समुद्री जीवों से प्राप्त पदार्थों का भी उपयोग किया जाता है । यह पद्धति त्रिदोषज सिद्धांत अर्थात् खून, बलगम, पीला पित्त और काला पित्त पर आधारित है । यूनानी सिद्धांत के अनुसार द्रव और औषधीय पौद नाजुक होते हैं । द्रव में परिवर्तन आने पर मानव के

		स्वास्थ्य पर परिवर्तन आता है । इस पद्धति से उपचार के तीन घटक हैं अर्थात् प्रतिरोधी, प्रवर्तक और आरोग्यकर । यूनानी चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत गठिया, जोड़ों के दर्द, पीलिया, फाइलेरिया, एक्जिमा, साइनसाइटिस और ब्रोंकाइनल अस्थमा का विशेषज्ञता से इलाज किया जाता है ।
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सी.एच.सी.)	एफ 3.1.1	ग्रामीण क्षेत्रो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर से ऊपर एक सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य करता है । ये केन्द्र पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रो में 80,000 तथा मैदानी क्षेत्रों में 1.2 लाख की जनसंख्या की देखभाल करता है । सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से बड़े होते हैं और इनकी गतिविधियां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र जैसी ही होती हैं ।
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी.एच.सी.)	एफ 3.1.2	प्रत्येक सामुदायिक विकास खण्ड में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य करता है इसके अंतर्गत एक चिकित्साधिकारी, एक स्वास्थ्य निरीक्षक तथा अर्द्ध-चिकित्सा स्टाफ जैसे मिडवाईफ (ए एन एम) एवं अन्य स्टाफ कार्य करता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र राज्य शासन द्वारा न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत चलाया जाता है गांव व समुदाय एवं चिकित्सक के बीच प्रथम मिलने का स्थान है । यह 6 उपकेन्द्रो की रेफरल यूनिट के रूप में कार्य करता है । प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो के सेवा दायित्वों में रोग निदान, रोगों से बचाव तथा परिवार कल्याण जैसी सेवाएं आती हैं । एक ओर पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रो में 3000 तथा मैदानी क्षेत्रो में 5000 की आबादी के लिए एक उपकेन्द्र दूसरी ओर पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्रो में 20,000 तथा मैदानी क्षेत्रो में 30,000 की जनसंख्या के लिए एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य करता है ।
प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र (पी.एच.एस.सी.)	एफ 3.1.3	प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेन्द्र प्राथमिक स्वास्थ्य केयर प्रणाली तथा सामुदाय के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी है । इसमें एक बहुद्धेशीय कार्यकर्त्ता (पुरूष) तथा एक बहुद्धेशीय कार्यकर्त्ता महिला/ए.एन.एम. कार्य करते हैं । अधिकांश उपकेन्द्रो को परिवार कल्याण विभाग द्वारा निधि प्रदान की जाती है, जबकि कुछ को न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा निधि उपलब्ध कराई जाती है ।
डिस्पेंसरी	एफ 3.1.4.1 से एफ 3.1.4.4	डिसपेंसरी वह चिकित्सा संस्थान है जहां बीमार को निःशुल्क अथवा कुछ शुल्क लेकर दवाईयां तथा चिकित्सा सलाह दी जाती है । डिसपेंसरी में बाह्य रोगी देखे जाते हैं । इसका संचालन सरकारी, अर्द्धसरकारी, पब्लिक सैक्टर उपक्रम अथवा मान्यता प्राप्त धर्मार्थ या स्वेच्छिक संगठनो द्वारा किया जाता है । डिसपेंसरी में मरीजों को भर्ती करने की सुविधा नहीं होती है । मान्यता प्राप्त चिकित्सकों द्वारा स्थापित प्राईवेट क्लिनिक इसके अंतर्गत नहीं आते हैं ।

प्रसूति गृह अस्पताल का भाग	एफ 3.1.6.1	यदि कोई अस्पताल प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराता है तो प्रसूति भाग को अलग से गिना जाये ।
प्रसूति गृह स्वतंत्र	एफ 3.1.6.2	यदि कोई अस्पताल अथवा उपचार केन्द्र केवल प्रसूति सेवाएं उपलब्ध कराता है तो उसकी जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज की जाएगी । यदि किसी गांव विशेष में दोनों सुविधाएं उपलब्ध हो तो तद्नुसार दोनों प्रश्नों के उत्तर में जानकारी दी जाएगी ।
नर्सिग होम	एफ 3.1.7	ऐसा स्थान जहां पर ऐसे वृद्ध और रुग्ण लोगों की चिकित्सकीय देखभाल की जाती है जो स्वयं देखभाल नहीं कर सकते, नर्सिंग होम कहलाते है । नर्सिंग होम एक छोटा प्राईवेट अस्पताल होता है जहां पर मरीजों को भर्ती करके चिकित्सा एवं सर्जिकल सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं । इसी के साथ-साथ विभिन्न बिमारियों का बाह्य रोगी के रूप में भी ईलाज किया जाता है ।
आईसीडीएस/ आंगनवाड़ी केन्द्र	एफ 3.1.8	यदि सरकार द्वारा समेकित बाल विकास योजना (आई.सी.डी.एस.)/आंगनवाड़ी केन्द्र स्थापित किये गये हैं तो तद्संबंधी जानकारी दी जाये ।
डेन्टल केयर	एफ 3.1.9	यदि सरकार द्वारा या प्राईवेट स्तर पर कोई डेन्टल केयर केन्द्र स्थापित है तो उसकी जानकारी यहां दर्ज करें । डेन्टल केयर के अंतर्गत दांतों तथा मसूड़ों का ईलाज, खराब दांतों को निकालना तथा दांत लगाने आदि का कार्य किया जाता है ।
आप्टिकल केयर	एफ 3.1.10	यदि गांव में सरकार अथवा प्रशिक्षित प्राईवेट डाक्टर द्वारा नेत्र संबंधी सेवाएं उपलब्ध हैं तो उसकी जानकारी यहां दर्ज की जाये । इसके अंतर्गत आंखों से संबंधी बीमारियों का ईलाज तथा नजर संबंधी ईलाज आता है । कम्प्यूटर एवं परम्परागत तरीकों द्वारा नजर की जांच करने के लिए गांव में क्लिनिक/दुकानें भी हो सकती हैं ।
टी.बी.क्लिनिक	एफ 3.1.11	टी.बी. की पहचान और उसका ईलाज सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं के अंतर्गत आता है । अत: यह प्राथमिक स्वास्थ्य केयर का अभिन्न अंग है । जिला टी.बी.केन्द्र रेफरल केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं (विशेषकर स्मिअर नेगेटिव मामलों को विभेदक जांच और औषध प्रतिक्रियक मामलों के प्रबन्ध के लिए) । टी.बी.क्लिनिक भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय टी.बी.नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत स्थापित किये जाते हैं तथा जिला टी.बी.केन्द्र के नेटवर्क के द्वारा संचालित किये जाते हैं । जिला टी.बी. केन्द्र जिले में टी.बी.नियंत्रण गतिविधियों के लिए नोडल केन्द्र और रेफरल केन्द्र के रूप में कार्य करता है । उप जिला स्तर पर टी.बी. यूनिट इसके कार्यान्वयन तथा उसके अधीन भौगोलिक क्षेत्र में टी.बी.नियंत्रण गतिविधियों का पर्यवेक्षण संबंधी कार्य भी करता है ।

पैथालॅजिकल जांच के लिए प्रयोगशाला	एफ 3.1.12	आजकल विभिन्न बिमारियों का ईलाज प्रारंभ करने से पूर्व प्रयोगशाला जांच करवाना सामान्य बात बन गई है । यह प्रयोगशाला सरकार द्वारा अथवा पैथालॅाजी/रेडियोलॅाजी में डिप्लोमा वाले प्रशिक्षित चिकित्सक द्वारा चलाई जा सकती है । इन प्रयोगशालाओं में एक्सरे, शुगर के लिए खून की जांच या अन्य बेक्टीरियल इनफेक्सन, मलेरिया जांच, शुगर के लिए पेशाब की जांच या गर्भ जांच आदि की जाती है । किसी गांव विशेष में पेथालॅाजिकल प्रयोगशाला नहीं होने पर भी जांच हेतु कलेक्शन केन्द्र हो सकते हैं । यदि यह सुविधा गांव में उपलब्ध है तो प्रश्न के सामने तदनुसार जानकारी दें ।
ऑपरेशन थियेटर	एफ 3.1.13	ऐलोपैथी में कुछ ईलाज के लिए या कुछ दुर्घटनाग्रस्त मामलों में सर्जरी में विशेषता प्राप्त डिग्री रखने वाले चिकित्सक जैसे कि एम.एस., एम.बी.बी.एस. आदि आवश्यकता अनुसार ऑपरेशन करते हैं । यदि ऑपरेशन थियेटर में छोटे से भी आपरेशन करने हेतु समस्त आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं तो माना जाएगा कि गांव में ऑपरेशन थियेटर की सुविधा उपलब्ध है ।
प्राईवेट चिकित्सक	एफ 3.1.14	प्राईवेट डाक्टरो के अंतर्गत ऐलोपैथी, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी या अन्य चिकित्सा पद्धति में प्रेक्टिस करने वाले समस्त प्राईवेट चिकित्सक सम्मिलित हैं । इन चिकित्सकों के पास मेडिकल कौसिंल ऑफ इंडिया, डेन्टल कौंसिल ऑफ इंडिया या भारतीय चिकित्सा पद्धति के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था की डिग्री होती है । गांव में प्रेक्टिस करने वाला पुरूष या महिला चिकित्सक को यहां दर्ज किया जाएगा । ऐलोपैथिक पद्धति के विशेषज्ञ डाक्टर इस श्रेणी के अंतर्गत नहीं आएगें । यह प्रश्न केवल प्राईवेट चिकित्सक (जनरल) से सम्बन्धित है ।
प्राईवेट चिकित्सक (विशेषज्ञ)	एफ.3.1.15	पोस्ट डिप्लोमा/मास्टर डिग्री प्राप्त प्राईवेट चिकित्सक जो गांव में चिकित्सकीय कार्य करते हैं इस श्रेणी में आएगे और उनसे सम्बन्धित जानकारी इस प्रश्न में दर्ज की जायेगी ।
महिला चिकित्सक (जनरल)	एफ 3.1.16	चिकित्सा की ऐलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, यूनानी या अन्य पद्धति के अंतर्गत प्रैक्टिस करने वाली महिला चिकित्सक की जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज की जाएगी ।
महिला चिकित्सक (स्त्री रोग विशेषज्ञ)	एफ 3.1.17	स्त्री रोग में डिग्री या डिप्लोमा धारक, एम.डी. (प्रसूति एवं स्त्री-रोग विशेषज्ञ)/सरकारी या प्राईवेट अस्पताल में महिला चिकित्सकों/डी.जी.ओ. को इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।

सहायक नर्स मिडवाईफ (ए एन एम)	एफ 3.1.18	प्रशिक्षित नर्सें जो सहायक नर्स मिडवाईफ के रूप में कार्य करती हो, से संबंधित जानकारी इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज की जाएगी ।
प्राईवेट नर्स	एफ 3.1.19	यदि गांव में प्राईवेट अस्पताल तथा क्लीनिक में नर्सें उपलब्ध है तो उनकी कुल संख्या इस प्रश्न में दर्ज की जाएगी । इसके अंतर्गत प्रशिक्षित दाईयां भी सम्मिलित हैं ।
अन्य (स्पष्ट करें)	एफ 3.1.20	गांव में उपलब्ध अन्य ऐसी समस्त चिकित्सा सेवाएं जिनका जिक्र ऊपर नहीं किया गया है, की जानकारी इस प्रश्न में दी जाएगी ।

<u>डाक, तार और टेलीफोन</u>

डाकघर	एफ 4.1	प्रश्न स्वयं में स्पष्ट है।
उप डाकघर	एफ 4.2	उप डाकघर में वे अतिरिक्त विभागीय डाकघर आते हैं जो कुछ मानदेय के बदले में अंशकालिक सेवाएं तथा डाक संबंधी सेवाएं प्रदान करते हैं । सीमित डाक सेवा में डाक टिकटों की बिक्री, पत्रों की प्राप्तियां, धनादेश तथा पत्रों का वितरण भी सम्मिलित है ।
टेलीग्राफ ऑफिस	एफ 4.3	टेलीग्राफ आफिस स्वतंत्र रूप से या डाकघर के साथ सरकार द्वारा स्थापित किया जाता है । इससे लोग टेलीग्राम भेज और प्राप्त कर सकते हैं । यदि फोनोग्राम की सुविधा उपलब्ध है (यद्यपि टेलीग्राफ आफिस में मोर्स कोड ट्रांसमीटर नही लगा हो सकता है) तो गांव को टेलीग्राफ की सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
टेलीफोन कनेक्शन्स	एफ 4.4	इस प्रश्न के अंतर्गत सरकार द्वारा जारी किए गए टेलीफोन कनेक्शनों की कुल संख्या को दर्ज किया जाएगा ।
सार्वजनिक टेलीफोन बूथ (पी.सी.ओ.)	एफ 4.5	यदि गांव में पोस्ट ऑफिस द्वारा संचालित या व्यक्ति के पास या प्राईवेट दुकान में पी.सी.ओ. उपलब्ध है तो गांव को पी.सी.ओ. की सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
फैक्स सुविधा	एफ 4.6	यदि गांव वालों को डाकघर या प्राईवेट दुकानों से फैक्स भेजने या प्राप्त करने की सुविधा उपलब्ध है तो गांव को फैक्स की सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
साईबर कैफे/ ई-मेल सुविधा	एफ 4.7	साईबर कैफे व्यक्तिगत तौर पर चलाये जाने वाली वे दुकाने या किओस्क हैं जो इन्टरनेट सर्फिंग सुविधा प्रदान करती हैं । ई-मेल सुविधा वह सुविधा है जिसमें इन्टरनेट के माध्यम से मेल भेजे या प्राप्त किए जाते हैं । यदि गांव में ऐसी सुविधाएं उपलब्ध हैं तो उनकी संख्या दी जाएं । अन्यथा जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है वहां उसका दूरी कोड कालम 4 में दर्ज करें ।

मोबाईल फोन	एफ 4.8	मोबाईल फोन अब नगरीय क्षेत्रों में विशेष रूप से प्रचलित हैं । नगरीय क्षेत्रों के साथ लगे होने के कारण कुछेक गांव भी इस सेवा का लाभ उठाते हैं । यदि केवल कुछ गांव वालों के पास मोबाईल फोन है तो ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि गांव में मोबाईल फोन है । कालम 2 के उप खानों में दिए गए कोड में से यदि हां तो कोड '1' अन्यथा नहीं तो कोड '2' दर्ज करें ।
सिमकार्ड क्रय करने की सुविधा	एफ 4.9	यदि गांव वालों के पास अपने मोबाईल फोन के लिए सिमकार्ड क्रय करने की सुविधा उपलब्ध है तो गांव में उपलब्ध दुकानो की संख्या दर्ज करें अन्यथा कॅालम 4 में वह दूरी को दर्ज करें जहां पर यह सुविधा उपलब्ध हैं ।
अन्य(स्पष्ट करें)	एफ 4.10	उक्त के अलावा यदि गांव में टेली प्रिंटर संदेश सेवाएं, पेजर सेवा, प्राईवेट कूरियर सेवा जैसी डाक या दूर संचार की कोई सुविधा उपलब्ध है तो उसकी जानकारी इस प्रश्न में दें । सुविधा के प्रकार को स्पष्ट करें । यदि गांव में स्पीड पोस्ट की सुविधा है तो उसे भी इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज करें ।
बैंकिंग सुविधा	एफ 5	बैंक धन तथा पैसों के स्थान पर चेकों और विनिमय-पत्रों में लेन-देन करते हैं । वे विभिन्न वित्तीय सेवाएं भी प्रदान करते हैं । उनके व्यवसाय का आधार व्यक्तियों, फर्मों तथा कभी-कभी सरकार से जमा राशि के रूप में उधार लेना है । इन संसाधनों तथा स्वयं की पूंजी से साख पर ऋण देने का कार्य करते हैं तथा प्रतिभूति में भी निवेश करते हैं । बैंक एक विशेष दर पर उधार लेकर तथा उच्च दरो की ब्याज पर उधार देकर सेवाएं प्रदान कर लाभांश प्राप्त करता है ।
राष्ट्रीयकृत बैंक	एफ 5.1	यदि गांव में कोई राष्ट्रीयकृत बैंक उपलब्ध है तो उसकी जानकारी यहां दें । राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम तथा पता अनुलग्नक में दर्ज किया जाना चाहिये ।
अन्य वाणिज्यिक बैंक	एफ 5.2	राष्ट्रीयकृत बैंक के अलावा देश में कुछ अन्य वाणिज्यिक बैंक भी उपलब्ध हैं । यदि ऐसा कोई वाणिज्यिक बैंक गांव में उपलब्ध है तो उससे संबंधित जानकारी दर्ज करें ।
कृषि बैंक	एफ 5.3	कृषि बैंक फार्मिंग समुदाय तथा कृषि समितियों को वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराता है । इनके व्यवसाय का मुख्य आधार आम जनता से पैसा जमा कराकर तथा बीज, खाद, ट्रेक्टर, पम्प सेट तथा कृषि उपकरण, आदि क्रय करने के लिए किसानों को ब्याज पर ऋण देना है ।
सहकारी बैंक		सहकारी बैंको का तात्पर्य बैंकिग नियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंको, केन्द्रीय सहकारी बैंको, नगरीय सहकारी बैंको तथा औद्योगिक सहकारी बैंको से है।

सरकारी सहकारी बैंक	एफ 5.4	सरकार द्वारा स्थापित किसी भी सहकारी बैंक को इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।
प्राईवेट सहकारी बैंक	एफ 5.5	किसी व्यक्ति विशेष/प्राईवेट ट्रस्ट या सोसाइटी द्वारा स्थापित किसी भी सहकारी बैंक को इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।
अन्य (स्पष्ट करें)	एफ 5.6	ऐसे समस्त बैंक जो उपरोक्त के अंतर्गत नहीं आते की जानकारी इस प्रश्न में दी जाएगी । गांव में उपलब्ध ए टी एम की सुविधा को इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा ।
लॉकर सुविधा	एफ 5.7	यदि गांव में किसी भी बैंक में लाकर सुविधा उपलब्ध है तो उस गांव को लाकर की सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
साख समितियां	एफ 6	यदि गांव में किसी प्रकार की साख/सहकारी समिति अर्थात् कृषि, गैर कृषि तथा अन्य साख समितियां उपलब्ध है तो इस प्रश्न के सामने प्रत्येक समिति का विवरण दर्ज किया जाए ।
कृषि साख समिति	एफ 6.1	गांव में ऐसी कृषि साख समितियां जो किसानों को बीज, खाद तथा कृषि उपकरण के लिए साख देती हैं, की संख्या को इस प्रश्न में दर्ज करें । यदि गांव में ऐसी साख समिति उपलब्ध नहीं है तो कालम नं. 4 में वह दूरी कोड दर्ज करें जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है ।
गैर कृषि साख समिति	एफ 6.2	गांव में ऐसी गैर कृषि साख समितियां जो कृषि के अलावा अन्य कार्यों के लिए नकद ऋण उपलब्ध कराती हैं की संख्या को इस प्रश्न में दर्ज करें । यदि गांव में ऐसी साख समितियां नहीं है तो कालम नं. 4 में वह दूरी कोड दर्ज करें जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है ।
अन्य साख समिति	एफ 6.3	गांव में विद्यमान अन्य साख समितियों की संख्या को इस प्रश्न के अंतर्गत दर्ज करें । यदि गांव में इस प्रकार की साख समितियां उपलब्ध नहीं है तो कालम नं.4 में वह दूरी कोड दर्ज करें जहां पर यह उपलब्ध है ।

<u>परिवहन सेवाएं</u>

सरकारी बस सेवा	एफ 7.1	यदि गांव वालों को दूसरे स्थानो पर आने-जाने के लिए वर्षभर नियमित सरकारी बस सेवा उपलब्ध है तो इस प्रश्न के कालम 3 में कोड-1 पर गोल दायरा अन्यथा कालम नं.4 में कोड-2 पर दायरा लगाएं ।
प्राइवेट बस सेवा	एफ 7.2	यदि गांव में प्राइवेट व्यक्ति या प्राइवेट ट्रांसपोर्ट कंपनी द्वारा नियमित रूप से चलाए जाने वाली बस सेवा उपलब्ध है तो इस प्रश्न के कालम नं.3 में कोड -1 पर गोल दायरा अन्यथा कालम नं.4 में कोड-2 लगाएं ।

नदी फेरी सेवा	एफ 7.3	यदि गांव नदी के पास स्थित है और नदी का प्रयोग यद्यपि वर्ष में कुछ समय के लिए भुगतान के आधार पर सवारियों/सामान को ले जाने के लिए उपयोग किया जाता है तो गांव को नदी फेरी सेवा की सुविधा वाला गांव माना जाएगा । प्रश्न के कालम 3 में कोड-1 पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कालम 4 में कोड-2 पर गोल दायरा लगाएं ।
रेलवे सेवा की उपलब्धता	एफ 7.4	यदि गांव की राजस्व सीमा के अन्तर्गत रेलवे स्टेशन स्थित है और यहां पर चाहे कुछ ही रेलें रूकती हैं तो गांव को रेलवे सेवा की सुविधा वाला गांव माना जाये । इस प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
साईकिल रिक्शा	एफ 7.5	यदि गांव में जनता को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने, ले जाने के लिए मनुष्य अथवा मोटर द्वारा चलित तिपहिया साईकिल उपलब्ध है तो गांव में इस सुविधा का होना माना जायेगा । यदि हो तो प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
ऑटोरिक्शा	एफ 7.6	यदि गांव में पैट्रोल, डीजल या सी0एन0जी0 द्वारा चलित ऑटो रिक्शा या टेम्पों लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए उपलब्ध हैं तो वहाँ पर इस सुविधा का होना माना जाएगा । यदि उत्तर हां हैं तो प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
टैक्सी (जीप, मेटाडोर, आदि)	एफ 7.7	यदि गांव में किराए पर व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए कार, जीप, वेन, आदि उपलब्ध है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । इस प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
तांगा/ऊँट गाड़ी/ बैल गाड़ी, आदि	एफ 7.8	यदि गांव में जानवरों की सहायता से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ऐसे वाहन उपलब्ध हैं तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । इस प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
नाव/पानी का जहाज (सरकारी/स्थानीय निकाय)	एफ 7.9	यदि गांव में व्यक्तियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने ले जाने के लिए लायसेंसशुदा नाव/पानी के जहाज की नियमित सेवा उपलब्ध है तो इस प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" पर गोल दायरा लगाएं अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
नाव/पानी का जहाज (प्राइवेट)	एफ 7.10	यदि गांव में बिना किसी प्राधिकृत अधिकारी के अनुमोदन से किसी प्राईवट व्यक्ति द्वारा नाव/पानी के जहाज की

		नियमित सेवा चलाई जाती है । तो, गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । इस प्रश्न के कॉलम 3 में कोड "1" अन्यथा कॉलम 4 में कोड "2" पर गोल दायरा लगाएं ।
अन्य(स्पष्ट करें)	एफ 7.11	यदि गांव में उक्त के अतिरिक्त परिवहन का अन्य कोई प्रकार उपलब्ध है तो उसे दर्ज करें ।
विद्युत आपूर्ति		
घरेलू विद्युत आपूर्ति	एफ 8.1	यदि गांव में घरेलू उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्युत आपूर्ति उपलब्ध है और गांव वाले उसका उपयोग इसी उद्देश्य के लिए करते हैं तो माना जाएगा कि गांव में घरेलू उपभोग के लिए विद्युत उपलब्ध है । यदि लोगों के अनुरोध पर विद्युत विभाग द्वारा परिवारों को विद्युत की घरेलू अपूर्ति नहीं की गई है और लोग कृषि तथा उद्योगों के लिये दी गई विद्युत का चोरी से या अप्राधिकृत रूप से दुरूपयोग कर रहे हैं तो माना जाएगा कि गांव में घरेलू उपयोग के लिए विद्युत उपलब्ध नहीं है । यदि ट्रांसफार्मर की खराबी, विद्युत उपकरणों की चोरी जैसी तकनीकी समस्याओं के कारण गांव में विद्युत की आपूर्ति नहीं हो रही है तो भी यह माना जाएगा कि गांव में विद्युत उपलब्ध है । यदि नए कनेक्शनों पर अस्थायी रोक के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है तो भी विद्युत की उपलब्धता मानी जाएगी । निवासीय मकानों, बंगलों, क्लबों, हास्टलों तथा गैर व्यवसायी आधार पर चलाए जाने वाले अस्पतालों, धर्मार्थ, शैक्षणिक तथा धार्मिक संस्थानों को घरेलू श्रेणी में रखा जाएगा ।
कृषि उपयोग	एफ 8.2	इस श्रेणी के अन्तर्गत किसानों को विभिन्न काश्तकारी सम्बन्धी कार्यकलापों तथा सिंचाई के लिए दिए गये समस्त विद्युत कनेक्शन सम्मिलित हैं ।
औद्योगिक/ व्यावसायिक उपयोग	एफ 8.3	इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत के वे समस्त कनेक्शन सम्मिलित हैं जो फैक्ट्री, लघु उद्योग जैसे कि पॉवरलूम, वर्कशॉप, विद्युत द्वारा चालित यंत्र, आटा चक्की, थोक एवं फुटकर दुकानें, कार्यालय, व्यावसायिक संस्थान, होस्टल, रेस्टोरेन्ट, चाय की दुकानें, फोटो स्टूडियो, एक्सरे अधिस्थापन, विज्ञापन और बाहरी प्रकाश, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, आदि जैसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक संस्थान सम्मिलित हैं ।
विद्युत के उपयोग हेतु आने वाले उपकरण	एफ 8.4	**इस प्रश्न का आशय गांव में उपलब्ध उन उपकरणों की जानकारी प्राप्त करना है जो विद्युत के पूरक अर्थात् जनरेटर सेट, इनवर्टर, बैटरी द्वारा चालित लैम्प का गांव वाले लोडशेडिंग आदि के कारण विद्युत न होने पर बिजली के स्रोत के रूप में उपयोग कर रहे हैं । ये घरेलू उपकरण विद्युत के सामान्य तरीकों के अतिरिक्त हैं ।**

जेनरेटर सेट	एफ 8.4.1	यह एक ऐसा उपकरण है जो केरोसिन या डीजल का उपयोग कर घरेलू विद्युत उत्पादन के काम आता है ।
इनवर्टर	एफ 8.4.2	यह बैटरी सहित एक इलेक्ट्रानिक/इलेक्ट्रिक यंत्र है जो विद्युत स्टोर करता है । स्टोर की गई बिजली का उपयोग बिजली आपूर्ति के न होने पर किया जा सकता है ।
बैटरी द्वारा चालित लैम्प	एफ 8.4.3	यदि लोड शेडिंग/पॉवर कट के दौरान गांव वाले रोशनी के लिए बैटरी द्वारा चालित लैंपों का उपयोग करते हैं तो माना जायेगा कि गांवं में यह सुविधा उपलब्ध है ।
पवन चक्की	एफ 8.5.1	यदि गांव में स्थापित पवन चक्की द्वारा उत्पादित बिजली का उपयोग घरेलू, कृषि या अन्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
सौर विद्युत	एफ 8.5.2	यदि गांव में सौर प्रणाली के माध्यम से विद्युत पैदा की जाती है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
अन्य(स्पष्ट करें)	एफ 8.5.3	यदि उक्त के अलावा बिजली का अन्य कोई प्रकार उपलब्ध है तो उसे दर्ज करें ।
स्ट्रीट लाईट	एफ 8.6.1	यदि गांव में स्थानीय निकाय द्वारा स्ट्रीट लाइट का प्रबंध किया गया है, तो यह कहा जाएगा कि गांव में स्ट्रीट लाइट की सुविधा उपलब्ध है । दिए गए कोडों में से स्ट्रीट लाइट के उस कोड को चुनें जिसका गांव में स्ट्रीट लाइट के लिए अधिकांशत: प्रयोग किया जाता है ।
मनोरंजन		
सार्वजनिक पुस्तकालय	एफ़ 9.1	यदि सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक प्रयोग के लिए पुस्तकालय स्थापित किया गया है जहां पर समाचार-पत्र, पत्रिकाएं तथा किताबें पढ़ने के लिए उपलब्ध हैं तो माना जाएगा कि गांव में सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा उपलब्ध है । इसके अन्तर्गत निजी पुस्तकालय या स्कूल के पुस्तकालयों को सम्मिलित नहीं किया जाये ।
वाचनालय सुविधा	एफ़ 9.2	यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए वाचनालय उपलब्ध है तो माना जाएगा कि गांव में यह सुविधा उपलब्ध है । सामान्यत: वाचनालय स्थानीय निकायों या धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं ।
दैनिक समाचार पत्र की आपूर्ति	एफ 9.3	गांववालों को उपलब्ध समाचार पत्रों के नाम, उनकी आपूर्ति संख्या, उनकी प्रकाशन भाषा तथा अवधि की अलग-अलग जानकारी दें । यह जानकारी समाचार पत्रों की गांव में आपूर्ति करने वाले व्यक्ति(यों) से प्राप्त की जा सकती है ।

पत्र-पत्रिकाओं की आपूर्ति	एफ 9.4	इस प्रश्न के अन्तर्गत गांव वालों को अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध पत्रिकाओं के नाम, उनकी संख्या तथा अवधि की जानकारी दें ।
ऐन्टिना के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम	एफ 9.5	यदि गांव में ऐन्टिना के माध्यम से प्राप्त होने वाले कार्यक्रमों को दूरदर्शन चैनल द्वारा दिखाए जाने की सुविधा उपलब्ध है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । किन्तु इसके अंतर्गत डिश एन्टिना या केबल नेटवर्कों के कार्यक्रमों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।
डिश एन्टिना के माध्यम से दूरदर्शन कार्यक्रम	एफ 9.6	यदि गांव में डिश ऐन्टिना के माध्यम से प्राप्त दूरदर्शन कार्यक्रम उपलब्ध है तो गांव में इस सुविधा का होना माना जाएगा
केबल नेटवर्क के के माध्यम से टी0वी0 कार्यक्रम	एफ 9.7	गांवों में प्राइवेट ऑपरेटरों द्वारा केबल नेटवर्क स्थापित करके गांव वालों को टी0वी0 कार्यक्रमों की सुविधा मुहैया कराई जाती है। यदि ऐसा केबल नेटवर्क विद्यमान है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा ।
ऑडियो कैसिट की दुकान	एफ 9.8	यदि गांव में ऑडियो कैसिट क्रय करने के लिए या किराए पर उपलब्ध है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । इस मद के अन्तर्गत वे दुकानें भी सम्मिलित हैं जहाँ पर ऑडियो रिकार्डिंग की सुविधा उपलब्ध है ।
वीडियो कैसिट की दुकान	एफ 9.9	यदि गांव में वीडियो कैसिट क्रय करने के लिए या किराए पर उपलब्ध है तो गांव को इस सुविधा वाला गांव माना जाएगा । इसके अन्तर्गत वीडियो रिकार्डिंग की सुविधा भी सम्मिलित है ।
सिनेमा घर	एफ 9.10	यदि गांव में सरकार द्वारा लायसेंस प्राप्त नियमित सिनेमा घर उपलब्ध है तो वहाँ पर इस सुविधा का होना माना जाएगा । इसके अन्तर्गत अस्थाई प्रकृति के सिनेमा घर और चलता-फिरता टाकीज भी सम्मिलित है ।
वीडियो पार्लर	एफ 9.11	यदि गांव में ऐसी वीडियो पार्लर या दुकानें उपलब्ध है जो किराये पर विडियो कैसेट/सी0डी0 उपलब्ध कराती है तथा जिनके परिसर में फिल्म स्क्रीन करने की सुविधा उपलब्ध हो तो माना जायेगा कि गांव में यह सुविधा उपलब्ध है ।
थियेटर/ऑडीटोरियम (खुला)	एफ 9.12	यदि गांव में ड्रामा, नृत्य, संगीत कार्यक्रम, कवि सम्मेलन तथा ऐसे ही अन्य मनोरंजन को प्रस्तुत करने के लिये खुला थियेटर या ऑडीटोरियम उपलब्ध है, तो वहां उस सुविधा का होना माना जायेगा ।

थियेटर/ऑडीटोरियम (इनडोर)	एफ 9.13	यदि गांव में ड्रामों, नृत्य एवं संगीत कार्यक्रमों, कवि सम्मेलनों तथा मनोरंजन के ऐसे अन्य साधनों को प्रस्तुत करने के लिये इनडोर थियेटर/ऑडीटोरियम उपलब्ध हैं, तो वहां उस सुविधा का होना माना जायेगा ।
अन्य(स्पष्ट करें)	एफ 9.14	यदि गांव में उक्त के अलावा मनोरंजन का अन्य कोई साधन पाया जाता है तो उसका उल्लेख करें ।
आंतरिक सड़कें		
कोलतार सड़कें	एफ 10.1	यदि गांव में अधिकांश सड़कें कोलतार/डामर से निर्मित हैं तो कोड "1" चिन्हित करें ।
पक्की सड़कें (डब्ल्यू.बी.एम.)	एफ 10.2	यदि गांव में अधिकांश सड़कें पक्की (नदियों से प्राप्त पत्थर) अर्थात् सीमेंट, कांक्रीट या पत्थर की बनी हैं तो कोड "2" चिन्हित करें ।
पक्की एवं मिट्टी की सड़कें	एफ 10.3	यदि गांव में क्रमशः पक्की (सीमेंट या कंक्रीट या पत्थर से निर्मित) एवं मिट्टी दोनों प्रकार की सड़कें हैं तो कोड "3" चिन्हित करें ।
मिट्टी की सड़कें	एफ 10.4	यदि गांव में अधिकांश सड़कें मिट्टी की हैं तो कोड "4" चिन्हित करें ।
ईंटों की सड़कें	एफ 10.5	यदि गांव की सड़कें ईंटों की बनी है तो कोड "5" चिन्हित करें ।
केवल मिट्टी की सड़कें	एफ 10.6	यदि गांव की सड़कें केवल मिट्टी से बनी हैं तो कोड "6" चिन्हित करें ।
अन्य(स्पष्ट करें)	एफ 10.7	यदि गांव की सड़कें उक्त के अलावा किसी अन्य सामग्री से बनी हैं तो कोड "7" चिन्हित करें ।
स्वास्थ्य एवं साफ-सफाई		
सामुदायिक शौचघर/ शौचालय (निःशुल्क)	एफ 11.1	यदि गांव में स्थानीय निकाय द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए शौचघर /शौचालय का निर्माण कराया गया है और गांव के निवासियों को यह सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है तो कोड "1" अन्यथा कोड "2" चिन्हित करें ।
सुलभ शौचालय एवं सामुदायिक शौचघर (सशुल्क)	एफ 11.2	यदि गांव में किसी गैर सरकारी संगठन द्वारा सार्वजनिक उपयोग के उद्देश्य से कोई सशुल्क शौचघर/शौचालय का निर्माण करवाया गया है और नाममात्र के शुल्क पर यह हर किसी को उपलब्ध है तो गांव में इस सुविधा का होना माना जाएगा ।
फ्लश/पिट शौचालय	एफ 11.3.1	मल निपटान के उद्देश्य से मैदान में गढ्ढा खोदकर बनाये गये बड़े गढ्ढे से संलग्न शौचालयों को पिट शौचालय कहा जाता है । ऐसे शौचालय जिनमें वाटर क्लोजेट के साथ फ्लशिंग सिस्टर्न से अथवा हाथ से पानी डालकर मल को

		सेप्टिक टैंक या भूमिगत सीवेज में बहाने की सुविधा उपलब्ध है उनको फ्लश/पिट शौचालय कहा जाता है ।
मल निपटान के लिए सीवेज प्रणाली	एफ 11.3.2	सीवेज प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें मुख्य और सहायक भूमिगत नालियों के नेटवर्क के माध्यम से मल को अंतिम निपटान बिन्दु तक पहुँचाते हैं । यदि गांव में ऐसी सुविधा उपलब्ध है तो कोड "1" अन्यथा कोड "2" चिन्हित करें ।
अन्य स्रोतों से मल निपटान	एफ 11.3.3	आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सर्विस शौचालय से सफाई कर्मियों द्वारा मल ले जाने की पद्धति पाई जाती है । यदि ऐसी स्थिति गाँव में है तो कोड "1" अन्यथा कोड "2" चिन्हित करें ।
जल निकास प्रणाली :-		
खुली नालियां	एफ 11.4.1.1	यदि गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए स्थानीय निकायों या वहां के निवासियों द्वारा खुला कच्चा/पक्का नाला निर्मित करवाया गया है तो गांव में इस सुविधा का होना माना जाएगा ।
बन्द नालियां	एफ 11.4.1.2	यदि गांव में गंदे पानी की निकासी के लिए स्थानीय निकाय या वहां के निवासियों द्वारा बन्द नाले का निर्माण कराया गया है तो ऐसी स्थिति में गांव में इस सुविधा का होना माना जाएगा ।
खुली एवं बन्द नालियां	एफ 11.4.1.3	यदि गांव में उक्त दोनों प्रकार के नाले या गटर उपलब्ध हैं तो कहा जायेगा कि गांव में यह सुविधा उपलब्ध है ।
कूड़े-कचरे का निपटान	एफ 11.5.1.1 से एफ 11.5.1.2	क्या गांव में कूड़े कचरे के निपटान के लिए कोई स्थान है ? यदि हां तो कृपया सुनिश्चित करें कि क्या वह स्थान गांव के अन्दर है । यदि हां तो कोड 1 अन्यथा कोड 2 चिन्हित करें । प्रश्न एफ 11.5.1.2 केवल उसी स्थिति में लागू होगा जबकि प्रश्न एफ 11.5.1.1 का उत्तर नकारात्मक में है । कोई एक विकल्प चुनें ।
भाग जी अन्य सुविधाएं		इस भाग के प्रश्न स्वयं में स्पष्ट हैं अत: इन्हें स्पष्ट करने की आवश्कयता नहीं है । इस भाग के प्रश्नों का आशय यह पता लगाना है कि क्या गांव के अन्दर अमुक सुविधा उपलब्ध है । यदि कोई सुविधा विशेष उपलब्ध है तो कोड 1 चिन्हित करें और कालम 3 में संख्या लिखें । यदि कोई सुविधा विशेष उपलब्ध नहीं है तो कोड 2 चिन्हित करें एवं जहां पर यह सुविधा उपलब्ध है उस स्थान की गांव से दूरी के कोड को कालम संख्या 4 में अंकित करें । अलग से दिये गए अनुलग्नक में जहां आवश्यक है, उन प्रश्नों के लिए नाम एवं पता भी दर्ज किया जाये ।

अग्निशमन सेवा	जी.1	स्वयं में स्पष्ट ।
पुलिस स्टेशन	जी.2	इसके अन्तर्गत गांव में स्थित पुलिस चौकी /बीट हाऊस भी सम्मिलित है ।
सिविल कोर्ट (आपराधिक एवं राजस्व कोर्ट सहित)	जी.3	गांव में प्रथम अथवा द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट के अधीन सिविल एवं आपराधिक मामलों के लिए कोर्ट पाया जा सकता है । नायाब तहसीलदार या उसके समकक्ष अधिकारी के अधीन राजस्व कोर्ट भी इस प्रश्न के अन्तर्गत आते हैं । यदि हां तो कोड 1 चिन्हित करें । यदि गांव में कोर्ट नहीं है तो कालम 4 में दूरी श्रेणी के कोड को दर्शाते हुए बताएं कि कोर्ट कितनी दूर स्थित है ।
सार्वजनिक पार्क/ गार्डन	जी.4	स्वयं में स्पष्ट ।
सार्वजनिक खेल का मैदान	जी.5	स्वयं में स्पष्ट ।
सरकारी डाक बंगला/अतिथिगृह	जी.6	गांव में राजस्व/वन/लोक निर्माण विभाग और किसी अन्य विभाग द्वारा संचालित डाक बंगला/अतिथिगृह हो सकता है जहां पर सरकारी ड्यूटी पर कर्मचारी रूक सकते हैं ।
	जी 7 से जी 17	स्वयं में स्पष्ट ।
ब्यूटी पार्लर	जी.18	गांव में कोई ब्यूटी पार्लर हो सकता है जहां भुगतान पर बाल काटने, थ्रेडिंग, मैनीक्योर, फेशियल मेकअप, मशाज आदि किया जाता हो । यह पुरूष एवं महिला के लिए हो सकते हैं ।
टी.वी., फ्रिज, वाशिंग मशीन	जी.19.1,19.2 तथा 19.3	इस प्रश्न के द्वारा यह जानकारी हासिल करनी है कि क्या गांव में रंगीन/ब्लैक एवं व्हाइट टेलीविजन, फ्रिज या वाशिंग मशीन खरीदी जा सकती है ? यदि यह उपलब्ध हैं तो इससे पता चलता है कि गांव में नगरीय विशेषताएं उपलब्ध हैं । सामान्यतया ये उपकरण नगरीय क्षेत्रों में पाये जाते हैं ।
	जी.20 एवं जी.21	स्वयं में स्पष्ट ।
गैर सरकारी संगठन	जी.22	गांव में सामुदायिक सुधार के उद्देश्य से शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण एवं शिशु देखभाल आदि से सम्बन्धित कोई गैर सरकारी संगठन काम करता पाया जा सकता है । (यद्यपि यह एक गांव या गांवों के ग्रुप के लिए काम करता पाया जा सकता है ।) यदि ऐसा है तो कोड 1 अन्यथा कोड 2 चिन्हित करें । यदि कोड 1 को चिन्हित किया गया है तो अनुलग्नक में एन जी ओ के नाम एवं पते तथा उनकी संख्या का उल्लेख करें ।

	जी.23	यदि गांव में आश्रय, भोजन आदि प्रदान करने के लिए धार्मिक निकाय द्वारा संचालित कोई चेरिटेबल संस्था/होम काम कर रही हो (यह कार्य सामाजिक उपेक्षितों, विधवाओं तथा अनाथों आदि के लिए किया जा सकता है) तो कोड 1 चिन्हित करें एवं कालम 3 में उनकी संख्या लिखें अन्यथा कोड 2 चिन्हित करें और कालम 4 में दूरी कोड दर्ज करें ।
	जी.24	स्वयं में स्पष्ट ।
वृद्धाश्रम	जी.25	वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए सरकार, एन.जी.ओ., धार्मिक या चेरिटेबल निकायों द्वारा चलाये जाने वाली संस्थाएं हैं । अनुलग्नक में नाम एवं पता दर्ज करें ।
	जी.26 एवं जी.27	स्वयं में स्पष्ट ।
धार्मिक स्थल	जी.28	धार्मिक स्थल वह है जहां पर व्यक्तियों का एक वर्ग अपने विश्वास के आधार पर एकत्रित होता है या प्रार्थना आदि के लिए जाता है । धार्मिक स्थानों में मंदिर, गुरूद्वारा, चर्च, मस्जिद आदि आते हैं । यदि गांव में यह उपलब्ध है तो कोड 1 चिन्हित करें तथा उनकी संख्या लिखें अन्यथा कोड 2 चिन्हित करें । यदि उत्तर '1' है तो अनुलग्नक में धार्मिक स्थलों के नाम एवं पते दर्ज करें । इसके अन्तर्गत घर अथवा खेतों में बनाया गया धार्मिक ढांचा सम्मिलित नहीं है । इसमें परिवार के देवी-देवता भी सम्मिलित नहीं होंगे ।
	जी.31 से जी.33	स्वयं में स्पष्ट ।
भाग एच		
उद्योग	एच 1.1 से एच 1.5	उद्योग का तात्पर्य ऐसी स्थापना से है जहां 10 अथवा अधिक व्यक्ति ऊर्जा (विद्युत) का उपयोग करके निर्माण/ संसाधन का काम करते हैं अथवा 20 या अधिक व्यक्ति बगैर ऊर्जा/विद्युत का उपयोग किए काम करते हैं । यदि गांव में कोई औद्योगिक इकाई है और वर्तमान में कार्य कर रही है तो इस प्रश्न में ऐसे समस्त बड़े एवं छोटे उद्योगों के नाम, वहां लगे कर्मचारियों की संख्या एवं उद्योग में उत्पादित वस्तु का नाम भी दर्ज किया जाना है ।
भाग आई		
हस्तशिल्प		हस्तशिल्प देश की धरोहर का अमूल्य भाग है । यह समुदाय की रचनात्मकता को उजागर करता है और व्यक्ति की सौंदर्य बोध समझ को प्रस्तुत करता है । हस्तशिल्पकार जीवन-यापन की समस्याओं से जुझते हुए भी आकर्षक एवं कलात्मक वस्तुओं का निर्माण करता है । देश में विभिन्न प्रकार की वस्तुएं हस्तशिल्प के रूप में उत्पादित की जाती हैं । इसके अन्तर्गत कालीन बुनना, कैलिको प्रिंटिंग, हस्त निर्मित शिल्प, सूती वस्त्र निर्माण,

लेस वर्क, एम्ब्रायडरी, बर्तन, हाथी दांत की नक्काशी, आभूषण बनाना, रोगन कार्य, लकड़ी का कार्य, चटाई बुनना, बेंत का कार्य आदि किए जाते हैं ।

हस्तशिल्प उत्पादन एवं उसमें लगे व्यक्ति

आई.1.1 से आई.1.3 तथा आई. 2.1 से आई. 2.3

प्रश्न संख्या आई 1.1 से आइ 1.3 के अन्तगत ग्रामीणों द्वारा उत्पादित हस्तशिल्प के प्रकारों को दर्ज किया जाएगा । प्रश्न संख्या आई 2.1 से 2.3 में उन तीन जातियों/जनजातियों/समुदायों के नाम दर्ज किए जायेंगे जो मुख्य रूप से उल्लिखित हस्त शिल्प के उत्पादन में लगे हुए हैं ।

<u>भाग जे</u>

गांव में आयोजित होने वाले उस मेले/त्यौहार का नाम लिखें जिसमें शामिल होने के लिए पड़ोसी क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग गांव में आते हैं । इस प्रश्न में दर्ज किए गए मेले/त्यौहार की संक्षिप्त प्रासंगिकता, इसके आयोजित होने की तारीख एवं मेले/त्यौहार की अवधि बताएं । इसमें विभिन्न समुदायों द्वारा मनाए जाने वाले धार्मिक त्यौहारों जैसे दिवाली, होली, ईद, गुरु पूर्णिमा, आदि को शामिल नहीं किया जाएगा ।

<u>भाग के</u>

के.1 से के.8

यदि गांव में पंचायत, ग्राम पंचायत या ग्राम परिषद जैसे स्थानीय निकाय काम कर रहे हैं तो इसकी संरचना की जानकारी दी जाये जैसे इसमें चुने गए सदस्यों की संख्या, महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या, इसका कार्यकाल, चुनाव तथा नामांकन से भरी गई सीटों की संख्या तथा पिछले चुनाव का वर्ष जैसी जानकारियाँ उपयुक्त प्रश्न में दर्ज की जानी है। प्रश्न संख्या के-2 से के-5 में स्वीकृत एवं वर्तमान सदस्यों की संख्या दर्ज की जाएगी ।

के. 9.1 से के. 9.12

यदि स्थानीय निकाय द्वारा प्रश्न संख्या के 9.1 से के 9.12 की किसी मद के अन्तर्गत कोई खर्च किया गया हो तो उसको दर्ज किया जाए और फिर इससे संबंधित कोड को चिन्हित करके दर्शाया जाए ।

के.10 से के.11

प्रश्न के-10 से के-11 स्वयं में स्पष्ट है। यह जानकारी गांव अध्यक्ष/सरपंच/ग्राम प्रधान के पास उपलब्ध होगी ।

के.12

प्रश्न के-12.1 से के-12.3 में ऐसी तीन प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया जाए जिनके समाधान की स्थानीय निकाय सरकार से अपेक्षा रखती है । जिससे गांववासियों के जीवन में सुधार हो सकता है । यह उचित होगा कि इस प्रश्न को स्थानीय निकाय से पूछा जाए ।

	के.13.1 से के.13.7	अपेक्षा की जाती है कि स्थानीय निकाय द्वारा गांव में गांववासियों के लाभ हेतु कुछ अचल परिसम्पत्ति बनाई गई होगी । इस अचल परिसम्पत्ति में पंचायत घर, सामुदायिक केन्द्र, धर्मशाला, बस शैल्टर, पीने के पानी की हट, पुस्तकालय/वाचनालय आदि हो सकते हैं । स्थानीय निकाय के स्वामित्व में समस्त अचल परिसम्पत्ति का ब्योरा प्रश्न संख्या के 13.1 से के 13.7 में दिया जाए ।
भाग एल		
प्राकृतिक आपदा	एल 1.1	यदि गांव पिछले दो कैलेण्डर वर्षों के दौरान भूकम्प, बाढ़, सूखा, तूफान आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुआ है जिससे गांववासियों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति बिगडी हो, तो उसका ब्योरा दिए गए विकल्प के आधार पर दर्ज करें । यदि गांव एक से अधिक आपदा से प्रभावित हुआ है तो तदनुसार सम्बन्धित कोड चिन्हित कर जानकारी प्रस्तुत की जाए ।
	एल.2	कोई गांव विशेष भूकम्प बेल्ट/जोन में स्थित हो सकता है । यह बाढ़ अथवा सूखे की सीमा में पड़ने वाले क्षेत्र में हो सकता है । यदि गांव की ऐसी स्थिति है तो उसे प्राकृतिक आपदा से ग्रसित माना जाएगा।
भाग एम		
कोई अन्य महत्वपूर्ण विशेषताएं		ऐसा हो सकता है कि उक्त प्रश्नावली में गांव से संबंधित कोई जानकारी/गतिविधि छूट गई हो । गांव की अपनी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएँ हो सकती हैं । ऐसा हो सकता है कि सर्वेक्षण करने वाला कर्मचारी गांव के बारे में कुछ अन्य जानकारी देना चाहता हो । ऐसी जानकारी को इस भाग में दर्ज किया जाए ।
जनगणना सूचना सीट		संबंधित जनगणना कार्य निदेशालय को चाहिए कि वह जनगणना 2001 के आधार पर गांव से संबंधित आंकड़े एकत्रित करें तथा उनको फील्ड अन्वेषक को उपलब्ध कराएं।

जनगणना निदेशालयों से प्राप्त स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों अर्थात् प्राइमरी, मिडिल, सेकेन्डरी और सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों, की कक्षाओं के गठन के ब्योरों से संबंधित समेकित स्थिति

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र	प्राइमरी स्कूल/जूनियर बेसिक/लोअर प्राइमरी	मिडिल स्कूल/अपर प्रांइमरी/ सीनियर बेसिक/हायर प्राइमरी	सेकेन्डरी स्कूल/मैट्रिक स्कूल	सीनियर सेकेन्डरी स्कूल/हायर सेकेन्डरी/ जूनियर कालेज
1	आन्ध्र प्रदेश	I - V	VI - VII	VIII - X	XI - XII
2	अरुणाचल प्रदेश	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
3	असम	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
4	बिहार और झारखंड	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
5	गोवा	कक्षा IV तक	V - VII	VIII - X	XI - XII
6	गुजरात	I - VII	- -	VIII - X	XI - XII
7	हरियाणा	I - V	VI - VIII	IX - X	X + I & X+ II
8	हिमाचल प्रदेश	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
9	जम्मू और कश्मीर	कक्षा V तक	कक्षा VIII तक	कक्षा X तक	कक्षा X +
10	कर्नाटक*	I - V	I - VII	VIII - X	XI - XII
11	केरल	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
12	मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	I - V	VI - VIII	IX - X	XI -XII
13	महाराष्ट्र	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
14	मणिपुर **	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
15	मेघालय	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
16	मिज़ोरम	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
17	नागालैण्ड***	कक्षा प्री-प्राइमरी से IV तक	V - VIII	V - X	V - XII
18	उड़ीसा	I - V	VI - VII	VIII - X	+2 (i.e., 10+2)
19	पंजाब	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
20	राजस्थान	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
21	सिक्किम	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
22	तमिलनाडु	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
23	त्रिपुरा ***	I - V	VI - VIII	VI - X	VI - XII
24	उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
25	पश्चिम बंगाल	I - V	-	V - X	XI - XII
26	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
27	चंडीगढ़	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
28	दादरा और नागर हवेली	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
29	दमन और दीव	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
30	दिल्ली	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII
31	लक्षद्वीप	I - IV	V - VII	VIII - X	XI - XII
32	पांडिचेरी	I - V	VI - VIII	IX - X	XI - XII

* कर्नाटक में कक्षा I - V को लोअर प्राइमरी माना गया है ।

** मणिपुर में कक्षा I - II को लोअर प्राइमरी माना गया है ।

*** कक्षाओं के स्तर का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है ।

आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता - भारत में बड़े आकार वाले गांवों का अध्ययन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम

कोड संख्या

जिले का नाम

कोड संख्या

खण्ड/तालुक/पुलिस थाना

विकास खण्ड/तालुक/पुलिस थाना अथवा उप नगर

कोड संख्या

गांव का नाम

कोड संख्या

तीर चिह्न

गांव की सीमा

टिप्पणी: कृपया मानचित्रों में चार दिशाओं (उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम) के संकेतों वाले तीर का प्रयोग करें।

डिमार्केटर (आवासों)

पक्की सड़क

कच्ची सड़क

रास्ता

रेलवे स्टेशन

नदी

नहर

तालाब

कुआं/नल/हैंडपम्प

मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा आदि

विद्यालय, औषधालय/प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, पंचायत घर, डाकघर आदि S D P PO

टिप्पणी: (i) कृपया गांव की आधारभूत सुविधाएं, गतिविधियां, पोलगर्ल आदि के नाम लिखें। मंदिरों, विद्यालयों, औषधालयों/ प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र, पंचायत घर, डाक घरों आदि जैसे संस्थानों के नाम भी लिखें।

(ii) कृपया गांव में मुख्य आवासों सहित सभी डिमार्केट आवासों के नाम उनके संख्या लिखें।

तिथि अंकित सत्यापक

सत्यापक का नाम

N